झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची
प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी (बैकलॉग) नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08/2021) के संबंध में आवश्यक सूचना।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी (विज्ञापन संख्या–08/2021) नियुक्ति परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक–24.11.2022 एवं साक्षात्कार दिनांक–25.11.2022 को आयोजित की गई है। जिसकी विवरणी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची (कारण सहित) आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड है।

3. साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु पूर्वाहन–09:30 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

4. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–08.11.2022 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–+919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

5. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि एवं सभी सेमेस्टरों का अंकपत्र।
(iv) चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्रमाण पत्र।
(v) मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र।
(vi) जाति प्रमाण पत्र/E.W.S. प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
नोट– अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी को अपना जाति प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019/संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में लाना अनिवार्य होगा।
(vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(ix) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

6. अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

7. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

कृ0पृ0उ0

8. अभिलेख सत्यापन / साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

9. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0 / —
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।

[illegible]